प्रदेश में कोटा को वृक्षारोपण में अव्वल बनाएं : विधायक कल्पना देवी

कोटा, (निसं)। प्रदेश में चल रहे हरयाळो राजस्थान अभियान के तहत शुक्रवार को नगर निगम कोटा उत्तर की ओर से दो स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बारां रोड पर ग्यारह मुखी हनुमान जी मंदिर परिसर में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में वृक्षारोपण के बाद लाड़पुरा विधायक कल्पना देवी ने कहा कि प्रदेशभर में आमजन स्वत: स्फूर्त पौधारोपण के लिए आगे आकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। कोटा जिले में भी बड़ी संख्या में लोगों का वृक्षारोपण से जुड़ना यहां के लोगों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने प्रबुद्धजन और नागरिकों को आव्हान किया कि हर गली, हर मौहल्ले, हर कॉलोनी, हर वार्ड, हर पंचायत क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधोरोपण कर कोटा को हरयाळो राजस्थान अभियान में अव्वल बनाएं।

नयापुरा स्थित वोकेशनल स्कूल परिसर में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी और भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर अशोक सैनी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता जितनी शिद्दत से अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी निभाते हुए उतनी ही मेहनत से सामाजिक सरोकारों में भी अपना योगदान देते हैं।

भाजपा कार्यकर्ताओं को इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती है जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन देश की प्रगति और देशवासियों के कल्याण को समर्पित किया है। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि पौधारोपण कर पर्यावरण की रक्षा भी एक तरह से जनसेवा ही है। हम सब सामाजिक कार्यकर्ता सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहें बल्कि इनको वृक्ष बनने तक सहेजें।

कोटा उत्तर नगर निगम क्षेत्र में लाडपुरा विधायक कल्पना देवी द्वारा वृक्षारोपण किया गया।

- उत्तर नगर निगम ने दो स्थानों पर वृक्षारोपण करवाया

दोनों स्थानों पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता पंकज मेहता, सुनीता व्यास, कृष्ण कुमार सोनी, पार्षद राकेश सुमन पुटरा, देवेन्द्र शर्मा, ज्ञानेंद्र सिंह आमेरा, नन्द किशोर मेवाड़ा, मंडल अध्यक्ष मनोज गोस्वामी, संजय समीर सैनी, चंद्रप्रकाश महावर, रितेश चितौडा, प्रदीप बोहरा, अर्चना शर्मा, रेखा खेलवाल, रेखा शर्मा, चन्द्रप्रकाश महावर, राजेन्द्र अग्रवाल, चमन केलवा, जयदेव सुखेजा, सोनिया राठौर, देवेन्द्र राही, समीर सैनी, दौलतराम मेघवाल, बाबा गोविन्द दास, योगेश दुबे, इकबाल सिंह बराड़, निर्मल सिंह बराड़, अतिरिक्त आयुक्त जवाहर लाल जैन, अधीक्षण अभियंता कुलदीप प्रेमी आदि उपस्थित रहे।

घरों में नलों से पहुंच रहा गंदा पानी, बीमारी की आशंका बढ़ी

छबड़ा (निसं)। शहर की कई कॉलोनियों में नागरिकों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। पानी इतना गंदा है कि उसमें दुर्गंध आ रही है और स्वाद भी बदल गया है, जिससे जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। यह समस्या पिछलें तीन चार दिनों से बनी हुई है। मोती कॉलोनी निवासी एडवोकेट बालमुकुंद खंडेलवाल, एडवोकेट राकेश सोनी, श्रीराम कॉलोनी निवासी रमेशचंद प्रजापति ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मटमैला पानी की आपूर्ति हो रही है। शुक्रवार को तो सुबह-सुबह गंदे पानी को देखकर लोगों में रोष पनप गया। पानी ऐसा था कि बिना उसे उबाल कर नहीं पीया जा सकता। यहां की अधिकांश कॉलोनी सहित मोहल्लों में नलों में मटमैला और बदबूदार पानी आने से लोगों में रोष हैं। नलों में गंदा पानी आने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरन लोग गंदे पानी को ही पीने पर मजबूर है। लोगों में यह डर है कि अगर ऐसे मटमैले पानी का वे उपयोग करेंगे, तो कई प्रकार की बीमारी हो सकती है।

सड़क हादसे में घायल युवक की मौत

कोटा, (निसं)।रानपुर थानाधिकारी रामविलास मीणा ने बताया कि केबल नगर निवासी इरफान (29) जो 27 जुलाई को मोटसाईकिल से एरोड्रम सर्किल से केबल नगर घर की ओर जाते समय जगपुरा चौकी के समीप सामने से एक मोटरसाईकिल सवार गलत साईड से आ गया। थानाधिकारी ने बताया कि मोटरसाईकिल सवार इरफान सामने से आ रही अन्य मोटसाईकिल सवार से टकरा गया। हादसे में घायल इरफान को उपचार के लिये कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और हादसे की सूचना परिजनों को दी गई। थानाधिकारी ने बताया कि हादसे में घायल इरफान की उपचार के दौरान मौत हो गई।

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:-न.पा.छ./2025/3651 दिनांक:-01.08.25

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल
1	श्री अब्दुल हामिद खान आत्मज श्री अब्दुल हफीज खान जाति मुसलमान निवासी छबड़ा तह. छबड़ा जिला (बारां)	715, 718	बल्लभ नगर कालोनी	65	25x67=1675 वर्गफीट

नोट:- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

अवैध शराब का कारखाना पकड़ा

झालावाड़, (निसं)। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से देसी शराब बनाने का एक कारखाना पकड़ा है। कारखाने से बड़ी तादाद में अवैध शराब बनाने की सामग्री जप्त की गई है। अवैध रूप से शराब बनाए जाने का यह कारखाना फतेह सिंह नामक व्यक्ति के खेत में संचालित किया जा रहा था जहां दबिश देकर पुलिस ने भारी तादाद में अवैध शराब से संबंधित माल भी पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि पुलिस थाना उन्हैल व डग द्वारा अवैध देशी शराब तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये लुहारिया के माल में फतेसिंह पुत्र बालू सिंह जाति सोंधिया राजपूत निवासी लुहारिया के खेत पर मकान में चल रहे अवैध देशी शराब के कारखाना पकड़ा गया है। कारखाने पर छापेमारी की कार्यवाही के दौरान अवैध देशी शराब बनाने की सामग्री, 500 लीटर सप्रीट, केमिकल के दो ड्रम, 6000 खाली पव्वे, 6000 पव्वो के ढक्कन, एक पव्वा पैक करने की मशीन, 3000 स्टीकर, ग्लोबल नींबू स्पेशल देशी शराब के 800 लैबल, 30 पानी के कैम्पर, एक यूरिया उर्वरक से भरा प्लास्टिक का कट्टा, 1870 कार्टूनस् बनाने के गत्ते, एक मोहर ग्लोबल स्प्रीट लिमिटेड बहरोड, तथा एक जनरेटर को जप्त किया।

जन्म के प्रथम घंटे का स्तनपान शिशु के लिए वरदान : डॉ. संगीता सक्सेना

कोटा, (निसं)। शिशु के जन्म के पहले घंटे में माँ का दूध पिलाना बच्चे के जीवन के लिए एक अमूल्य वरदान है। यह न केवल शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि उसे शारीरिक व मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरपूर बनाता है। यह बात मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. संगीता सक्सेना ने शुक्रवार को रोटरी बिनानी सभागार में स्तनपान सप्ताह के शुभारंभ समारोह में कही। यह आयोजन बीपीएनआई और भारतीय शिशु अकादमी हाड़ौती सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य संयोजक डॉ.सी.बी.दास गुप्ता ने बताया कि परिवार द्वारा माँ को हर स्तर पर सपोर्ट करना होगा। एक सर्वे के अनुसार देश में शिशु जन्म के उपरांत छह महीनों तक स्तनपान करने वालो बच्चों की संख्या 64 फीसदी हैं। छह माह बाद ऊपरी आहार लेने वाले बच्चों की संख्या 46 फीसदी है और दो वर्ष तक सम्पूर्ण रूप से पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 11.5 फीसदी ही हैं, जो आंकड़ा चिंताजनक हैं। स्तनपान करने वाली माताओं को हर स्तर पर समर्थन व सहयोग एवं सकारात्मक माहौल की आवश्यकता हैं। उन्होंने बच्चे के स्तनपान से जीवन में होने वाले पर लाभ पर चर्चा करते कहा कि इससे शिशु की कुपोषण, मोटापे, सूखा रोग, निमोनिया, शुगर व ब्लड प्रेशर जैसे रोगों से भी दूर रहता हैं। कार्यक्रम में डॉ.कमल वार्ष्णेय (अध्यक्ष, आईएपी), डॉ.अविनाश बंसल, डॉ.नवनीत बागला, रोटरी क्लब अध्यक्ष मनोज सोनी व सचिव नीरज अग्रवाल सहित कई गणमान्य अतिथि अपने भी विचार रखे।

कोटा मेडिकल प्रचार्या डॉ. संगीता सक्सेना ने स्तनपान सप्ताह के कार्यक्रम को संबोधित किया।

इसमें रोटरी क्लब कोटा, रोटरी पदमिनी व लायंस क्लब कोटा टेक्नो सहित कई संस्थाओं का सहयोग रहा। कार्यक्रम के सह-संयोजक यज्ञदत्त हाड़ा, डॉ.एकात्म गुप्ता व समाजसेवी भुवनेश गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष स्तनपान सप्ताह की वैश्विक थीम 'स्तनपान को प्राथमिकता-स्थायी सहायता प्रणाली विकसित करें' रखी गई है, जो इस दिशा में सामाजिक सहयोग व निरंतर समर्थन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। डॉ.सक्सेना ने कहा कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, जो हमेशा उपलब्ध रहता है।

नवजात को पहला पीला गाढ़ा दूध (कोलोस्त्रम) पिलाना बेहद आवश्यक है, जो प्राकृतिक वैक्सीन की तरह कार्य करता है। साथ ही, दो वर्ष तक स्तनपान कराने से माँ को स्तन कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। इस अवसर पर स्तनपान जागरूकता से जुड़े विभिन्न गतिविधियों, पोस्टर प्रदर्शनी, एवं संवाद सत्रों का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य माताओं और परिवारों को स्तनपान के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना था। कार्यक्रम का संचालन यज्ञदत्त हाड़ा ने किया।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/829 **विज्ञप्ति** दिनांक:-31.7.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम मानपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना अंजली विस्तार भूखंड संख्या 85-ए खसरा नं. 209 आवेदक/आवेदिका श्री अंकुर पांडे पुत्र श्री वीरेन्द्र पांडे निवासी म.नं. 41 शक्ति विहार बोरखेडा कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूखंड संख्या 85 क्षेत्रफल 110.82 का पट्टा क्रमांक 3878 दिनांक 22.11.2022 को श्री भुवनेश्वरी यादव उर्फ भुवनेश्वरी कामेलिया पत्नी श्री योगेश यादव के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का उपविभाजन समिति के आदेश क्रमांक एफ-7/डी.टी.पी./2024/1500 दिनांक 06.12.2023 से भूखंड संख्या 85 का उप विभाजन भूखंड संख्या 85-ए ऐरिया 56.28 वर्गमीटर, भूखंड संख्या 85-बी ऐरिया 54.54 वर्गमीटर के रुप में किए जाने का निर्णय लिया गया है। पट्टाधारी द्वारा भूखंड संख्या 85-ए क्षेत्रफल 56.28 वर्गमीटर का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 22.02.2024 को जर्ये मुख्तारआम श्रीमती पवन आहूजा पत्नी श्री धमेन्द्र आहूजा द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री अंकुर पांडे पुत्र श्री वीरेन्द्र पांडे के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/828 **विज्ञप्ति** दिनांक:-31.7.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम मानपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना अंजली विस्तार भूखंड संख्या 85-बी खसरा नं. 209 आवेदक/आवेदिका श्री कन्हैया लाल प्रजापत पुत्र श्री नोरतमल प्रजापत निवासी कुम्हारों का तला, बोराज, जयपुर हाल निवासी डी-4 गोकुल कालोनी बोरखेडा कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। भूखंड संख्या 85 क्षेत्रफल 110.82 का पट्टा क्रमांक 3878 दिनांक 22.11.2022 को श्री भुवनेश्वरी यादव उर्फ भुवनेश्वरी कामेलिया पत्नी श्री योगेश यादव के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का उपविभाजन समिति के आदेश क्रमांक एफ-7/डी.टी.पी./2024/1500 दिनांक 06.12.2023 से भूखंड संख्या 85 का उप विभाजन भूखंड संख्या 85-ए ऐरिया 56.28 वर्गमीटर, भूखंड संख्या 85-बी ऐरिया 54.54 वर्गमीटर के रुप में किए जाने का निर्णय लिया गया है। पट्टाधारी द्वारा भूखंड संख्या 85-बी क्षेत्रफल 54.54 वर्गमीटर का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 20.02.2024 को जर्ये मुख्तारआम श्री धमेन्द्र कुमार आहूजा पुत्र श्री लक्ष्मणदास द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री कन्हैया लाल प्रजापत पुत्र श्री नोरतमल प्रजापत के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/837 **विज्ञप्ति** दिनांक:-1.8.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम बालिता में स्थित कृषि भूमि योजना मेपल पार्क खसरा नं. 233 में स्थित भूखंड संख्या 35 आवेदक/आवेदिका श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी श्री मयंक शर्मा निवासी 514 रानी लक्ष्मी बाई वाटिका के पास बसंत विहार दादाबाड़ी कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 1736 दिनांक 01.11.2022 को श्री बृजेश योगी पुत्र श्री लाल योगी के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2025 को जर्ये मुख्तारआम देवराज गुर्जर पुत्र श्री भवाना गुर्जर द्वारा आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अत: श्रीमती पूजा शर्मा पत्नी श्री मयंक शर्मा के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

जिला कलेक्टर ने केंद्रीय कारागृह का निरीक्षण किया

कोटा, (निसं)। जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट पीयूष समारिया शुक्रवार को केंद्रीय कारागृह पहुंचे। केंद्रीय कारागृह पहुंचने पर समारिया को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

जिला कलेक्टर ने केंद्रीय कारागृह में बंदियों की बैरकों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने बंदियों के लिए बने कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय, रसोई-घर का भी अवलोकन किया।

उन्होंने बंदियों को दिए जाने वाले भोजन, उनको मिलने वाली मेडिकल सुविधाओं आदि के बारे में केंद्रीय कारागृह अधीक्षक राजेंद्र कुमार से जानकारी ली।

जिला कलक्टर ने बंदियों की सुरक्षा के संबंध में सतर्कता बरतने एवं जेल परिसर सहित रसाई-घर आदि की सफाई रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय कारागृह अधीक्षक ने बंदियों के परिजनों से वार्ता एवं शिकायत दर्ज करने संबंधी सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की।

कोटा जिला कलेक्टर ने कारागृह का निरीक्षण किया।

शोक भरे माहौल में नेत्रदान सम्पन्न

कोटा, (निसं)। कोटा के शास्त्री नगर दादाबाड़ी निवासी चंद्रप्रकाश गुप्ता (गोयल) के मरणोपरांत उनका नेत्रदान आई बैंक सोसायटी ऑफ राजस्थान द्वारा करवाया गया।

अध्यक्ष के.के.कंजोलिया ने बताया कि चंद्रप्रकाश गुप्ता (गोयल) की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के बाद उनके पुत्र रजनीश की सहमति से नेत्रदान सम्पन्न हुआ। ज्योत मित्र सचिव सुरेश सेडवाल ने बताया कि स्वाभाविक मृत्यु हो गई थी। ईबीएसआर के टेक्नीशियन टिंकू ओझा ने उनके स्वनिवास पर उपरान्त परिजनों से वार्ता कर नेत्रदान प्रक्रिया सम्पन्न की गई।

नेत्रदानी चंद्रप्रकाश गुप्ता अपने जीवन के 76 बसंत देख चुके थी। आई बैंक सोसायटी के टेक्नीशियन टिंकू ओझा ने नेत्रदान प्रक्रिया को पूरा किया गया। डॉ.के.के.कंजोलिया ने स्व.विद्या सिंघल के परिवार को इस पुण्य कार्य हेतु हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की एवं अन्यों की जिन्दगी रोशन करने के प्रयास को समाज के लिए अनुकरणीय बताया।

आम सूचना

मेरे पक्षकार सेटीन हाउसिंग फाईनेंन्स लिमिटेड की ओर से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती शबाना पत्नी वसीम निवासी 1-जे-8, संजय गांधी नगर, कोटा (राज.) ने अपने स्वामित्व के मकान नम्बर 7-ई-75 ब्लॉक 7ई, विज्ञान नगर विस्तार योजना, कोटा (राज.) को मोरगेज रख मेरे मेरे पक्षकार के यहां से ऋण लिया जा रहा है। उक्त मकान के आवंटन निरस्तीकरण पत्र क्रमांक 3282 दिनांक 02.09.2024 तथा नियमितीकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 3394 दिनांक 09.09.2024 असल पूर्व में गुम हो चुके है जो काफी तलाश करने पर भी नहीं मिले है जिसके संबंध में एक ऑनलाईन गुमशुदगी रिपोर्ट भी दिनांक 11.06.2025 एलआर नम्बर 279406/2025 अब्दुल हमीद द्वारा दर्ज करवायी हुई है। उक्त मकान या दस्तावेज बाबत बाबत किसी भी व्यक्ति, बैंक या संस्था या अन्य किसी को भी किसी भी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को अंदर मियाद 07 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी।

दिनांक 01.08.2025 भवदीय राजेन्द्र सिंह एडवोकेट 386, माला रोड़, कोटा जं.

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन नोटिस

समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 72/2025

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री धनराज पुत्र श्री हरिशंकर पांचाल ग्राम लसाडिया खुर्द तह. सांगोद जिला कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अंतर्गत प्रन्यास "मन्दिर श्री बालकिशन जी महाराज" वाके ग्राम लसाडिया खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा के संबंध में पंजीयन हेतु जांच किए जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 02.10.2025 है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/5884 दिनांक: 1.8.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुधा गुप्ता पत्नी स्व. श्री आर.सी. गुप्ता एवं श्री सचिन गुप्ता पुत्र स्व. श्री आर.सी. गुप्ता निवासी-सी-107 तलवण्डी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण भूखंड संख्या-सी-107 तलवण्डी कोटा (राज.) नगर निगम कोटा लीज डीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखंड संख्या-सी-107 तलवण्डी क्षेत्रफल-2100 वर्गफुट का कार्यालय नगर निगम कोटा के कार्यालय नगर विकास न्यास कार्यालय के आदेश क्रमांक : एफ 11/107/वि./तलवण्डी/02/961-962 दिनांक 26.12.2002 से श्रीमती सुधा गुप्ता पत्नी स्व. श्री आर.सी. गुप्ता एवं श्री सचिन नाबालिग पुत्र स्व. श्री आर.सी. गुप्ता के नाम नाम हस्तांतरण किया गया है। श्रीमती सुधा गुप्ता पत्नी स्व. श्री आर.सी. गुप्ता एवं श्री सचिन गुप्ता पुत्र स्व. श्री आर.सी. गुप्ता के नाम लीज डीड की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक:-5883 **स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति** दिनांक: 1.8.25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुरेश कुमार भावनानी पुत्र श्री रेवा चंद निवासी-60 बी सिंधी स्कूल के सामने गुमानपुरा कोटा द्वारा भूखंड संख्या-60 बी सिंधी स्कूल के सामने गुमानपुरा कोटा क्षेत्रफल 840 वर्गफुट का नाम हस्तांतरण कराने हेतु नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदित मूल भूखंड संख्या-60 सिंधी स्कूल के सामने गुमानपुरा कोटा क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट का भारत सरकार के पुर्नवास मंत्रालय के रीजनल सेटलमेंट कमीश्नर राजस्थान द्वारा जिसका पट्टा विलेख दिनांक 14.02.1966 को श्री रेवा चन्द पुत्र श्री गिरधारी लाल को किया गया है। श्री रेवा चन्द पुत्र श्री गिरधारी लाल की मृत्यु दिनांक 29.01.1994 को हो चुकी है। श्रीमती किक्की बाई पत्नी श्री रेवा चन्द की मृत्यु दिनांक 18.07.2006 को हो चुकी है। श्री जयदेव भावनानी पुत्र श्री रेवा चन्द की मृत्यु दिनांक 29.06.1992 को हो चुकी है। श्री श्याम बिहारी भावनानी पुत्र श्री रेवा चन्द की मृत्यु दिनांक 10.10.1988 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत उनके शेष विधिक वारिसान श्री चन्द्रप्रकाश भावनानी पुत्र स्व. श्री रेवा चन्द, श्री आशीष भावनानी पुत्र स्व. श्री श्याम बिहारी भावनानी, श्रीमती शारदा बालानी पत्नी श्री मोहन लाल बालानी, सुश्री रीमा भावनानी पुत्री स्व. श्री श्याम बिहारी भावनानी, श्री कुंज बिहारी भावनानी पुत्र स्व. श्री रेवा चन्द, श्रीमती मीरा भावनानी पत्नी स्व. श्री जयदेव भावनानी, श्री अमरीश भावनानी पुत्र स्व. श्री जयदेव भावनानी एवं श्रीमती शिल्पा भावनानी पत्नी श्री उमेश भावनानी ने अपना हक श्री सुरेश कुमार भावनानी एवं रुपचन्द भावनानी पुत्र श्री रेवा चंद के पक्ष में पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 04.07.2012 से त्याग दिया है। श्री सुरेश कुमार भावनानी एवं रुपचन्द भावनानी पुत्र श्री रेवा चंद ने एक पंजीकृत बंटवारा नामा दिनांक 27.01.2015 को तैयार किया जिसमें पूर्वी व पश्चिम साईड के 840 वर्गफुट का भाग जिसमें भूतल 840 वर्गफुट व प्रथम तल 840 वर्गफुट व द्वितीय तल 840 वर्गफुट पर प्राप्त हुई है। उक्त क्षेत्र श्री सुरेश कुमार भावानानी पुत्र श्री रेवा चन्द के पक्ष में नाम हस्तांतरण किया जाना है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांक:-5882 **स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति** दिनांक: 1.8.25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रुपचन्द भावनानी पुत्र श्री रेवा चंद निवासी-60 ए सिंधी स्कूल के सामने गुमानपुरा कोटा द्वारा भूखंड संख्या-60 ए सिंधी स्कूल के सामने गुमानपुरा कोटा क्षेत्रफल 1160 वर्गफुट का नाम हस्तांतरण कराने हेतु नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदित मूल भूखंड संख्या-60 सिंधी स्कूल के सामने गुमानपुरा कोटा क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट का भारत सरकार के पुर्नवास मंत्रालय के रीजनल सेटलमेंट कमीश्नर राजस्थान द्वारा जिसका पट्टा विलेख दिनांक 14.02.1966 को श्री रेवा चन्द पुत्र श्री गिरधारी लाल को किया गया है। श्री रेवा चन्द पुत्र श्री गिरधारी लाल की मृत्यु दिनांक 29.01.1994 को हो चुकी है। श्रीमती किक्की बाई पत्नी श्री रेवा चन्द की मृत्यु दिनांक 18.07.2006 को हो चुकी है। श्री जयदेव भावनानी पुत्र श्री रेवा चन्द की मृत्यु दिनांक 29.06.1992 को हो चुकी है। श्री श्याम बिहारी भावनानी पुत्र श्री रेवा चन्द की मृत्यु दिनांक 10.10.1988 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत उनके शेष विधिक वारिसान श्री चन्द्रप्रकाश भावनानी पुत्र स्व. श्री रेवा चन्द, श्री आशीष भावनानी पुत्र स्व. श्री श्याम बिहारी भावनानी, श्रीमती शारदा बालानी पत्नी श्री मोहन लाल बालानी, सुश्री रीमा भावनानी पुत्री स्व. श्री श्याम बिहारी भावनानी, श्री कुंज बिहारी भावनानी पुत्र स्व. श्री रेवा चन्द, श्रीमती मीरा भावनानी पत्नी स्व. श्री जयदेव भावनानी, श्री अमरीश भावनानी पुत्र स्व. श्री जयदेव भावनानी एवं श्रीमती शिल्पा भावनानी पत्नी श्री उमेश भावनानी ने अपना हक श्री सुरेश कुमार भावनानी एवं रुपचन्द भावनानी पुत्र श्री रेवा चंद के पक्ष में पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 04.07.2012 से त्याग दिया है। श्री सुरेश कुमार भावनानी एवं रुपचन्द भावनानी पुत्र श्री रेवा चंद ने एक पंजीकृत बंटवारा नामा दिनांक 27.01.2015 को तैयार किया जिसमें पश्चिम साईड के 1160 वर्गफुट का भाग जिसमें भूतल पर डाईनिंग व खुला चौक व लेट बाथ निर्मित है। प्रथम तल पर 5 कमरे व डाईनिंग किचन, लेट बाथ बने हुए है। उक्त क्षेत्र श्री रुपचन्द भावानानी पुत्र श्री रेवा चन्द के पक्ष में नाम हस्तांतरण किया जाना है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।